

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत उपजिला कलक्टर मुकाम- मण्डावर (दौसा)

खेमचन्द वगैरह

बनाम

कालूराम वगैरह

किस्म मुकदमा -दावा तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा नंबर 01/2022 सन.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.07.2023	<p>वादीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र बावत आदेश 23 नियम 1 उप. नियम 4 (ख) प्रस्तुत होने पर तारीख पेशी से गिरकर आज पेश हुई। वादीगण वकील ने निवेदन किया कि उनवानी प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 26.07.2023 नियत है। उक्त प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादी गण में आपसी समझाईस से समझौता हो चुका है। वादीगण अपने वाद को वापिस लेना चाहता है आगे इस प्रकरण को आगे कोई कानूनी कार्यवाही नहीं चाहते है। प्रार्थना पत्र बावत आदेश 23 नियम 1 उप. नियम 4 (ख)को स्वीकार कर उनवानी प्रकरण को विद्धो करने के आदेश फरमाने हेतु निवेदन किया।</p> <p>हमने वादीगण उनके वकील को सुना आपैर पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष के राजीनाम होने के कारण दावा के प्रत्याहरण की अनुमति देने में कोई विधिक अडचन नहीं होने से प्रार्थना पत्र बावत आदेश 23 नियम 1 उप. नियम 4 (ख) स्वीकार किया जाता है। दावा तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा को इसी स्तर पर विद्धा कर कानूनी कार्यवाही ड्रॉप किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फौसल शुमार होकर, नम्बर से कम की जा कर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।</p> <p>निर्णय दिनांक 03.07.2023 प्रशासन गौवों के संग अभियान कैम्प जटवाडा में लिखाया जाकर सुनाया गया।</p>	<p>Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including dates like 03/07/23 and names like Hsmae Ael.</p>



उपजज अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

उपखण्डअधिकारी
मंडावर(दौसा)